रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 1974/आश्विन 4, 1896

No. 407] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 1974/ASVINA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
8 OCT 1974

MINISTRY OF FINANCE

ORDERS

New Delhi, the 26th September 1974

S.O. 569(E).—Whereas the Central Government issued order No. I/86/FS/74/1 dated 17th September, 1974 under Section 3(1)(c) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 directing that Arvind Liladhar Dholakia, S/o Shri Liladhar Fulchand Dholakia, Dhiraj Bhavan, 31, Sindhi Gully, Khetwadi Main Road, Bombay be detained and kept in custody in Central Jail, Yerewada, Poona with a view to preventing him from smuggling goods or abetting other persons to smuggle goods; and

Whereas the Central Government have reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

The Central Government in exercise of powers under Section 7(1)(b) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Metropolitan Magistrate, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official gazette.

[No. I/86/FS/74/1]

वित्त मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1974

का० आ० 569 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 3(1)(ग) के अधीन यह अनुदेश देते हुए दिनांक 17 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या 1/86/एफ०एस०/74/1, जारी किया है कि अरविन लीलाधर ढोलकिया, सुपुत्र श्री लीलाधर फूल चन्द ढोलकिया, धीरज भवन, 31—सिधी गुली, खैतवाडी मैन रोड, बम्बई को, उसे स्वयं तस्कर व्यापार करने से या अन्य व्यक्तियों को तस्कर व्यापार करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए नजर बन्द किया जाए और केन्द्रीय जेल यरवदा में हिरासत में रखा जाए ; और

यतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह मान लेने का समीचीन आधार है कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है या छुप रहा है, ताकि उक्त आदेश की तामील न हो सके;

आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 7 (1) (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निदेश देती है, कि वह सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के समक्ष प्रस्तुत हो जाए ।

[सं० I/86/एफ०एस/74/1]

S.O. 570(E).—Whereas the Central Government issued order No. 1/86/FS/74/2 dated 17th September, 1974 under Section 3(1)(c) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 directing that Lalit Dholakia, S/o Shri Liladhar Phulchand Dholakia Block No. 1, 1st Floor, 'Pushpanjah' Wakeshwar, Bombay be detained and kept in custody in Central Jail, Yerewada, Poona with a view to preventing him from smuggling goods or abetting other persons to smuggle goods; and

Whereas the Central Government have reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

The Central Government in exercise of powers under Section 7(1)(b) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Metropolitan Magistrate, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official gazette.

[No. I/86/FS/74/2]

का० आ० 570 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 3(1)(ग) के अधीन यह अनुदेश देते हुए दिनांक 17 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या I/86/एफ०एस०/74/2, जारी किया है कि ललित ढोलकिया, सुपुत्र श्री लीलाधर फूलचंद ढोलकिया, ब्लाक नं० 1, फर्स्ट फ्लोर, "पुष्पांजाह" वाकेश्वर, बम्बई को, उसे स्वयं तस्कर व्यापार करने से या अन्य व्यक्तियों को तस्कर व्यापार करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए नजरबन्द किया जाए और केन्द्रीय जेल, यरवदा में हिरासत में रखा जाय ; और

यतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह मान लेने का समीचीन आधार है कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है या छुप रहा है, ताकि उक्त आदेश की तामील न हो सके ;

आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण, अधिनियम 1971 की धारा 7(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निदेश देती है, कि वह सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के समक्ष प्रस्तुत हो जाए।

[सं० I/86/एफएस/74/2]

S.O. 571(E).—Whereas the Central Government issued order No. I/86/F9/74/15 dated 17th September, 1974 under Section 3(1)(c) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 directing that Vardharaj Munuswami, S/o Shri Munuswami, BMC Quarters 18/11, East Sion, Koliwada, Bombay-22 be detained and kept in custody in Central Jail, Yerewada, Poona with a view to preventing him from smuggling goods or abetting other persons to smuggle goods; and

Whereas the Central Government have reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

The Central Government in exercise of powers under Section 7(1)(b) of the Maintenance of Internal Security Act 1971 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Metropolitan Magistrate, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official gazette.

[No. I/86/FS/74/15]
C. V. NARASIMHAN,
Jt. Secy. for Secy.

का० आ० 571(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 3 (1) (ग) के अधीन यह अनुदेश देते हुए दिनांक 17 सितम्बर, 1974 का आदेश संख्या I/86/एफएस०/74/15, जारी किया है कि बरदराज मुन्नुस्वामी, सुपुत्र श्री मुन्नुस्वामी, बी० एम० सी० क्वार्टर्स 18/11, ईस्ट स्योन, कोलीवाडा, बम्बई–22 को, उसे स्वंग तस्कर व्यापार करने से या अन्य व्यक्तियों को तस्कर व्यापार करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए नजर बन्द किया जाये और केन्द्रीय जेल, यर्वदा में हिरासत में रखा जाए ; और

यतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह मान लेने का समीचीन आधार है कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है या छुप रहा है, ताकि उक्त आदेश की तामील न हो सके ;

आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 7(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निदेश देती है, कि वह सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के समक्ष प्रस्तुत हो जाए।

[सं० I/86/एफ एस/74/15]

सी० वी० नरसिम्हन्,
संयुक्त सचिव कृते सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974